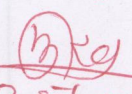


Date of order or proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25-05-19	राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री एच.व्ही. पाटीदार उपस्थित। अभियुक्त दशरथसिंह अनिर्वाहित। अभियुक्त राधू पूर्व से मृत घोषित। प्रकरण आज अभियुक्त दशरथसिंह की उपस्थिति हेतु नियत है। विगत तिथि पर उसे जारी गिरफ्तारी वारंट अदम तामिल इस तस्दीक पंचनामा दिनांक 20.05.2019 के साथ वापस प्राप्त हुआ है कि दशरथसिंह पिता पर्वतसिंह की तलाश उसके घर एवं आस पास क्षेत्र में किये जाने पर भी वह नहीं मिला है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, उक्त तस्दीक पंचनामा को महवारी एवं महेन्द्र दोनों निवासी रूनिजा थाना सुवासरा द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना प्रकट है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तस्दीक पंचनामा दिनांक 24.05.2019 का थाने के रोजनामचा सान्हा की खानगी एवं वापसी की सत्यप्रति सहित उक्त आशय का ही प्राप्त हुआ है कि वारंटी घर पर नहीं है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं है कि वह कहाँ रह रहा है, उक्त पंचनामा को भी गवाह अंकित शर्मा एवं तसलीम निवासी रूनिजा थाना सुवासरा द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना प्रकट है। ज्ञात है कि वर्तमान प्रकरण अंतर्गत धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट वर्ष 2006 से इस न्यायालय से इस न्यायालय में लम्बित है, एक अभियुक्त राधू की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी है तथा शेष अभियुक्त दशरथ भी न्यायालय से विगत दिनांक 25.09.2018 से बचाव साक्ष्य के स्तर से निरंतर अनुपस्थित है तथा प्रकरण की अंतिम स्तर पर प्रगति अवरुद्ध हो गई है, उक्त तामिल कुनिदा साक्षी उपनिरीक्षक सरदार मण्डलोई की तद विषय में साक्ष्य अंकित की गई जिसमें उसने तस्दीक पंचनामों में वर्णित तथ्यों का वर्णन करते हुए आरोपी दशरथ के निकट भविष्य में मिलने की संभावना से इंकार किया है। उक्त दशाओं में वाद विश्लेषण अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की संभावना नगण्य होने से तथा उसका कोई पता ठिकाना नहीं होने से वारंटी दशरथ के विरुद्ध धारा 299 दप्रस 1973 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उसे फरार घोषित किया जाता है। अभियुक्त दशरथ के विरुद्ध आज ही स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये। चुंकि प्रकरण अंतिम स्तर पर होकर बचाव साक्ष्य हेतु	 25/5/19 आरोपी का स्थायी गिरा वा. जारी  25/5/19

52

II-156
C.J.

Order Sheet [Contd]

SPST

Case No. 9/09 of 20

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	नियत है ऐसी दशा में अभियुक्त की अनुपस्थिति में कार्यवाही जारी रखने का औचित्य नहीं होने से प्रकरण इस पृष्ठांकन के साथ अभिलेखागार में जमा किया जाये कि नष्ट ना हो। (समीर कुलश्रेष्ठ) अतिरिक्त विश्व न्यायालय (एन.डी.पी.एस. एक्ट) भानपुरा जिला मन्दसौर (मो. 9000)	OS 25/5/19 Key